कार्यालय, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक(दक्षिण पश्चिमी कमान), खातीपुरा रोड, जयपुर -302012
O/o The Pr. Controller of Defence Accounts(SWC), Khatipura Road, Jaipur – 302012

सं. हिं.क. / 108 / रा.भा.का.स. / 2018–19 दिनांक: 06.12.2018

:: महत्वपूर्ण परिपत्र ::

प्रति,

प्रभारी अधिकारी,

1. समस्त अनुभाग (स्थानीय)
2. समस्त अधीनस्थ कार्यालय

विषय: वार्षिक कार्यक्रम 2018–19 में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समस्त कार्य हिंदी में ही करने के संबंध में।

संगठन के समस्त अधीनस्थ कार्यालयों तथा मुख्य कार्यालय के समस्त स्थानीय अनुभागों के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि राजभाषा नियमों के अनुसार यह कार्यालय ''क'' क्षेत्र में आता है तथा भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2018–19 में हिंदी में मूल पत्राचार का लक्ष्य 100 प्रतिशत है। प्रत्येक तिमाही में आयोजित विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में संगठन प्रमुख प्रधान नियंत्रक महोदय व विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुभागों में समस्त कार्य केवल हिंदी में किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने के बावजूद भी वार्षिक कार्यक्रम 2018–19 में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है।

अतः संगठन के समस्त अधीनस्थ कार्यालयों तथा मुख्य कार्यालय के समस्त स्थानीय अनुभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि इस परिपत्र के परिचालन के साथ ही संबंधित कार्यालयों व अनुभागों में समस्त कार्य केवल हिंदी में किया जाना सुनिश्चित करें ताकि वार्षिक कार्यक्रम 2018–19 में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।

प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय में इस परिपत्र के अनुपालन का पूर्ण दायित्व संबंधित कार्यालय के प्रभारी अधिकारी का होगा तथा मुख्य कार्यालय के स्थानीय अनुभागों में इस परिपत्र के अनुपालन का पूर्ण दायित्व संबंधित अनुभाग के वरिष्ठ लेखा अधिकारी व सहायक लेखा अधिकारी का होगा।

इस परिपत्र की विषयवस्तु समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संज्ञान में लाई जावें तथा उक्त निर्देशों का सफल अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समस्त कार्य हिंदी में करने हेतु पाबंद किया जाना सुनिश्चित करें।

समूह अधिकारी (राजभाषा) द्वारा अवलोकित।

हस्ता/-
वरि. लेखा अधिकारी (रा.भा.)

प्रतिलिपि :

प्रभारी अधिकारी, ई.डी.पी. अनुभाग (स्थानीय) } वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

वरि. लेखा अधिकारी (रा.भा.)